

0 नः- 61/2024

तारीखरजः- 8/10/24

2024/229

उनवान:- कान्ता बनाम रामधन वगै०  
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक

फर्द अहकाम

8/10/24

प्रार्थी की ओर से श्री राजकुमार सिंह एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 06.11.2024 को पेश हो।

(पूजा मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम जिला गंगपुर सिटी

6546-47  
8/10/24

11  
24

~~पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित होकर इस वायट इलवाइल सिपे काडेशिका पट की इस पठाकावाण के मध्यमश।जी।मामा होवामा है। इसलिये प्रार्थी वकील का ठमर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नोड्येव से रकारिज किया जात है। पत्रावली फेबलकुमार होकर नमर के कम कर डाखिल करत है।~~

Not  
press  
दिनांक

